डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम –हिण्डौन जिला करौली

इजलास

पीठासीन अधिकारी :– हेमराज गूर्जर, **R.A.S.**

प्रकरण सख्या:–56/15 दायर दिनांक:–19.06.2015

जीसीएमएस नं. 2015/00518

1. अमरसिंह उम्र 62 साल
2. मोहनसिंह उम्र 40 साल
3. सत्यवीर उम्र 30 साल

पिसरान चिम्मन जाति जाट निवासी खिजुरी तहसील हिण्डौन जिला करौली

————वादीगण–03

बनाम

1. रतन उम्र 70 साल
2. श्रीलाल उम्र 62 साल
3. उदय उम्र 55 साल
4. नौलख पुत्र रामसिंह
5. पूरन पुत्र रामसिंह
6. हीरालाल पुत्र रामसिंह

पिसरान दरयाब जाति जाट निवासी खिजुरी तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली।

———प्रतिवादीगण–06

दावा बावत् तकास्मा व स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा न0 56/15

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे हाजिरी श्री अशोक नीमनका एडवोकेट मिन कानिव मुदई रूबरू प्रतिवादीगण हाजिरी श्री राधेश्याम शर्मा मिन जानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि तकास्मा आराजी फाईनल डिक्री किया जाकर बंटवारा स्कीम दिनांक 11.07.5.2022 स्वीकार कर निम्नानुसार पक्षकारान को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है

ग्राम खिजूरी तहसील सूरौठ

क्रं. सं.	पक्षकार	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा
1	वादी	अमरसिंह, मोहनसिंह, सत्यवीर पिसरान चिम्मन	846/1	0.16 है0
2	प्रतिवादी गण	नौलख, पूरण, हीरालाल पिसरान रामसिंह	846/2	0.16 है0
3	प्रतिवादी गण	रतन, श्रीलाल, उदय पिसरान दरयाब	846/3	0.16 है0
4	वादी एवं प्रतिवादीगण	अमरसिंह, मोहनसिंह, सत्यवीर पिसरान चिम्मन रतन, श्रीलाल, उदय पिसरान दरयाब नौलख, पूरण, हीरालाल, पिसरान रामसिंह	411	0.23 है0

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 19:13:03 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार सूरौठ से प्राप्त बंटवारा स्कीम के साथ संलग्न नक्शा ट्रेस निर्णय एवं डिक्री का ही एक भाग है। तहसीलदार सूरौठ को आदेश दिये जाते हैं कि

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड एवं राजस्व सीट में अमल दरामद करें। शेष इन्द्राज बदस्तुर रहेगें। निर्णय व फाईनल डिक्री की प्रति तहसीलदार सूरौठ को पालनार्थ भेजी जावे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 13-5-2025 को यह डिक्री जारी की गई।

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन (जिला करौली)

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 19:13:03 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन (करौली)

पीठासीन अधिकारी :— हेमराज गूर्जर, **R.A.S.**

प्रकरण सख्या:—56/15 दायर दिनांक:—19.06.2015

जीसीएमएस नं. 2015/00518

1. अमरसिंह उम्र 62 साल
2. मोहनसिंह उम्र 40 साल
3. सत्यवीर उम्र 30 साल

पिसरान चिम्मन जाति जाट निवासी खिजुरी तहसील हिण्डौन जिला करौली

————वादीगण—03

बनाम

1. रतन उम्र 70 साल
2. श्रीलाल उम्र 62 साल
3. उदय उम्र 55 साल
4. नौलख पुत्र रामसिंह
5. पूरन पुत्र रामसिंह
6. हीरालाल पुत्र रामसिंह

पिसरान दरयाब जाति जाट निवासी खिजुरी तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली।

———प्रतिवादीगण—06

दावा बावत् तकास्मा व स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित:— 1. श्री अशोक नीमनका वकील वादीगण
2. श्री राधेश्याम शर्मा प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक 13-5-25

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी ने दावा खिलाफ प्रतिवादिगणों के राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 व 188 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी ने दावा खिलाफ प्रतिवादिगणों के राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 व 188 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि दावा वादी खिलाफ प्रतिवादीगण बाबत् विभाजन आराजीयात एवं स्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 11.07.2022 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर वाके ग्राम खिजुरी तहसील सूरौठ में आराजी ख0 न0 411 रकबा 23 ऐयर, 846 रकबा 48 ऐयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.71 है0 में वादीगण एवं प्रतिवादीगण का हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी के अनुसार दर्ज है। मौके पर वादी एवं प्रतिवादीगण की मौजूदगी में मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में हिस्से व कब्जे अनुसार अच्छी में से अच्छी और बुरी में से बुरी के अनुसार बंटवारा स्कीम तैयार करें। बटवारा स्कीम [illegible] में मय नक्शा ट्रेश के न्यायालय में प्रस्तुत की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 19:13:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

मुताविक आदेश तहसीलदार सूरौठ के पत्रांक एल आर/2025 / 1923 दिनांक 10.11.2022 से उक्त उनवानी प्रकरण में बंटवारा स्कीम मय ट्रेस न्यायालय में प्राप्त हो चुकी है।

उभयपक्ष वकील उपस्थित। उभयपक्ष वकील की बंटवारा स्कीम पर बहस सुनी गई। उभयपक्ष वकील ने दौराने बहस मुताविक बंटवारा स्कीम वादी का दावा फाईनल डिक्री किये जाने का निवेदन किया है

उभयपक्ष वकील की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। तहसीलदार सूरौठ से प्राप्त बंटवारा स्कीम निम्नानुसार है:—

ग्राम खिजूरी तहसील सूरौठ

क्र. सं.	पक्षकार	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा
1	वादी	अमरसिंह, मोहनसिंह, सत्यवीर पिसरान चिम्मन	846/1	0.16 है0
2	प्रतिवादी गण	नौलख, पूरण, हीरालाल पिसरान रामसिंह	846/2	0.16 है0
3	प्रतिवादी गण	रतन, श्रीलाल, उदय पिसरान दरयाब	846/3	0.16 है0
4	वादी एवं प्रतिवादीगण	अमरसिंह, मोहनसिंह, सत्यवीर पिसरान चिम्मन रतन, श्रीलाल, उदय पिसरान दरयाब नौलख, पूरण, हीरालाल पिसरान रामसिंह	411	0.23 है0

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि तहसीलदार सूरौठ से प्राप्त बंटवारा स्कीम मुताविक प्राथमिक डिक्री एवं पक्षकारान के मौके पर कब्जा काश्त एवं अच्छी में से अच्छी और बुरी में से बुरी के आधार पर तैयार किया जाना सही प्रतीत होता है तथा मुताविक बंटवारा स्कीम वादीगण दावा फाईनल डिक्री कराना चाहते हैं, इसलिए तहसीलदार सूरौठ से प्राप्त बंटवारा स्कीम को स्वीकार करते हुए वादी का दावा मुताविक बंटवारा स्कीम फाईनल डिक्री योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः दावा वादी खिलाफ प्रतिवादीगण बाबत् तकास्मा आराजी फाईनल डिक्री किया जाकर बंटवारा स्कीम दिनांक 10.11.2022 स्वीकार कर उपरोक्तानुसार पक्षकारान को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 19:13:03 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार सूरौठ से प्राप्त बंटवारा स्कीम के साथ संलग्न नक्शा ट्रेस निर्णय एवं डिक्री का ही एक भाग है। तहसीलदार हिण्डौन को आदेश दिये जाते हैं कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड एवं राजस्व सीट में अमल दरामद करें एवं शेष

उपखण्ड अधिकारी

इन्द्राज बदुस्तर रहेंगे। निर्णय व फाईनल डिक्री की प्रति तहसीलदार सूरौठ को पालनार्थ भेजी जावे। उपरोक्तानुसार फाईनल पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13-5-2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)
हिण्डौन

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 19:13:03 IST
Reason: SelfAttested